

[2023] 10 एस सी आर 372:2023 आई. एन. एस. सी 593 ए

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

इंदिरा देवी

बनाम

वीना गुप्ता और ओआरएस।

(2014 की सिविल अपील संख्या 9833)

बी.

04 जुलाई, 2023

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

विलेख और दस्तावेज-बिक्री विलेख-क्या विक्रेता संपत्ति को वापस पंजीकृत कराने के लिए बिक्री विलेख में निहित अधिकार सौंप सकता है या अधिकार व्यक्तिगत होने के कारण नहीं सौंपा जा सकता है-आयोजित:किसी दस्तावेज में हस्तांतरण या समनुदेशन के किसी भी निहित निषेध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है-बिक्री विलेख में पुनर्खरीद के अधिकार की शर्त विक्रेता के लिए व्यक्तिगत नहीं होगी जब तक कि दस्तावेजों की शर्तों में विशेष रूप से ऐसा नहीं कहा गया है-ऐसा अधिकार हमेशा सौंपा जा सकता है और ऐसी शर्त वाला अनुबंध लागू करने योग्य होगा-एकमात्र अपवाद यह है कि ऐसा अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति का नहीं होना चाहिए-वर्तमान मामले में, सशर्त बिक्री विलेख में कोई शब्द नहीं था जिसने किसी अन्य व्यक्ति को अपने असाइनमेंट को प्रतिबंधित कर दिया-खंड केवल पुनर्खरीद के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया था-विक्रेता पर दायित्वों के साथ विक्रेताओं को विकल्प दिया गया था-उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं-अनुबंध।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

यह अभिनिर्धारित किया कि -बिक्री विलेख में पुनर्खरीद के अधिकार की शर्त विक्रेता के लिए व्यक्तिगत नहीं होगी जब तक कि दस्तावेजों में शर्तें विशेष रूप से ऐसा नहीं बताती हैं।ऐसा

अधिकार हमेशा सौंपा जा सकता है और ऐसी शर्त वाला अनुबंध लागू करने योग्य होगा। एकमात्र अपवाद यह है कि ऐसा अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति का नहीं होना चाहिए। किसी दस्तावेज़ में दायित्वों का समनुदेशन दूसरे पक्ष की सहमति के बिना संभव नहीं है। किसी दस्तावेज़ में स्थानांतरण या कार्य के किसी भी निहित निषेध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनुबंध का लाभ उन मामलों में सौंपा जा सकता है जहां इससे उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस पर दायित्व निहित है, वह दो व्यक्तियों में से किसके लिए निर्वहन करता है। यदि हाथ में मामले के तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो सशर्त बिक्री विलेख में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्य सौंपने से रोकता हो। खंड में केवल पुनर्खरीद के अधिकार का उल्लेख है। विक्रेताओं को दायित्वों के साथ विकल्प दिया जाता है

एफ.

जी.

एच.

372

373

इंदिरा देवी बनाम वीना गुप्ता और ओआरएस।

विक्रेता। वर्तमान मामले में पुनर्खरीद का अधिकार के. एल. एस. (अब मृत) द्वारा प्रत्यर्थी नं. 1 जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहू है जिसे अन्य संपत्तियाँ भी उपहार में दी गई हैं। यहां तक कि अपीलार्थी के वकील द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि किसी अधिकार के ऐसे समनुदेशन को उपहार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें प्रतिफल राशि शामिल है, इस कारण से भी ध्यान दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है कि उपहार विलेख के निष्पादक यानी के. एल. एस. (अब मृत) ने प्रत्यर्थी सं. 1. वह अधिकार हमेशा उसके द्वारा किसी भी शर्त के साथ सौंपा जा सकता था। दायर मुकदमे में आगे, वह एक वादी भी था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। [पारस 21-24] **[385-G-H; 386-A-E]**

बी.

सी.

भोजू मंडल और ओआरएस बनाम देबनाथ भगत और ओआरएस।

1963 सप. (2) एस. सी. आर. 82-लागू नहीं होता है।

टी. एम. बालकृष्ण मुदलियार बनाम। एम. सत्यनारायण राव

डी.

और ओआरएस। (1993) 2 एससीसी 740:[1993] 2 एससीआर 888; श्याम सिंह बनाम दरियाव सिंह (मृत) एल. आर. और ओ. आर. एस. द्वारा (2003)

12 एससीसी 160:[2003] 5 पूरक।एससीआर 784-पर निर्भर।

कपिलाबेन और ओआरएस बनामअशोक कुमार जयंतीलाल सेठ, पी. ओ. ए. गोपाल भाई मधुसूदन पटेल और अन्य के माध्यम से

ई.

(2020) 20 एस. सी. सी. 648-संदर्भित।

सकलगुना नायडू बनाम चिन्ना मुनुसामी नायक

ए. आई. आर. **1928 पी. सी. 174-संदर्भित।संदर्भित निर्णय**

एफ.

[1963] उदाहरण के लिए **(2) एस. सी. आर. 82** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **6 (2020) 20 एस. सी. सी. 648** पैरा **6 [1993] 2 एस. सी. आर. 888** पर निर्भर था

पैरा **8**

[2003] 5 पूरक।एस. सी. आर. 784 पर निर्भर

पैरा **8**

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2014 की सिविल अपील सं. 9833।

2000 के एस. ए. No.123 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.09.2013 निर्णय और आदेश से।

एच.

374

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, फारुख रशीद, आशीष शर्मा, अबू बकर सब्बाक, महेश कुमार, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

यादव नरेंद्र सिंह, राहुल शुक्ला, सुश्री इशिता बरुआ, सुश्री सायंतनी बसाक, सुश्री कंचन दहिया, सुश्री बचिता बी. शुक्ला, राहुल प्रताप, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

राजेश बिंदल, जे।

1. इसमें अपीलार्थी ने 2000 की दूसरी अपील संख्या 123 में पटना में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 26 सितंबर, 2013 के आदेश को चुनौती दी है।

सी.

2. अभिलेख पर उपलब्ध मामले के तथ्यों पर यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। कालेश्वर प्रसाद सिंह को स्वर्गीय किशोरी लाल साहू द्वारा विचाराधीन संपत्ति में किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था, जो इसके अनन्य मालिक थे। उन्होंने अपने बेटे के साथ इंदिरा देवी डी/ओ कालेश्वर प्रसाद सिंह के पक्ष में एक सशर्त बिक्री विलेख का निष्पादन किया। बिक्री विलेख में यह उल्लेख किया गया था कि विक्रेताओं को धन की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए, परिवार के सदस्यों की सहमति से, 5000/- के कुल बिक्री विचार के लिए विक्रेता के पक्ष में सशर्त बिक्री विलेख निष्पादित किया जा रहा था। बिक्री विलेख में शर्त यह थी कि यदि विक्रेता जुलाई, 1984 तक विक्रेता को पूरी प्रतिफल राशि वापस कर देते हैं, तो विक्रेता विक्रेताओं की कीमत पर एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से संपत्ति वापस कर देगा। यदि विक्रेता निर्धारित समय के भीतर प्रतिफल राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो विक्रेता संपत्ति का अनन्य मालिक बन जाएगा। तब तक विक्रेता किसी भी तरह से संपत्ति का सौदा नहीं करेगा।

डी.

र

ई.

एफ.

3. स्वर्गीय किशोरी लाल साहू ने अपनी बहू, वीणा गुप्ता और गोपाल प्रसाद के पक्ष में एक पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 14.02.1983 निष्पादित किया। उपहार विलेख में संपत्ति का विवरण विस्तृत रूप से दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि निष्पादक बूढ़ा था और लाभार्थी उसकी देखभाल कर रहा था, इसलिए उसे संपत्तियां उपहार में दी जा रही हैं। संपत्ति की संख्या उपहार में दी गई थी। उसमें यह उल्लेख किया गया था कि संपत्ति जैसा कि कॉलम नं. उसमें 5

इंदिरा देवी को दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया गया था, जिसे वीणा गुप्ता द्वारा इंदिरा देवी से वापस खरीदा जा सकता है।

जी.

4. विक्रेता तैयार थे और विक्रेता को 5000/- वापस करने के लिए तैयार थे ताकि बिक्री विलेख को उनके नाम पर वापस पंजीकृत किया जा सके लेकिन विक्रेता ए

एच.

375

इंदिरा देवी बनाम वीणा गुप्ता और ओआरएस। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

उसी के लिए सहमत नहीं था। दीवानी मुकदमा प्रत्यर्थी नं. 1 1983 में किशोरी लाल साहू (अब मृत) के साथ। मुकदमे में प्रार्थना थी कि अपीलार्थी को 5000/- रुपये को प्रतिफल राशि के रूप में स्वीकार करने और प्रत्यर्थी सं. 1 मुकदमे में उल्लिखित घर के संबंध में। असफल होने पर, डिक्री पारित की जाए जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी सं. 1, प्रथम वादी और इसके परिणामस्वरूप, वादी को विचाराधीन संपत्ति के कब्जे में रखा जाए। वैकल्पिक रूप से, प्रार्थना यह थी कि दूसरे वादी किशोरी लाल साहू (गैर मृतक) और पहले प्रतिवादी कालेश्वर प्रसाद सिंह के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध हो। व्यक्तिगत आवश्यकता और किराए का भुगतान न करने के आधार पर वादी के पक्ष में बेदखली की डिक्री पारित की जाए और कब्जा दिया जाए। विचारण न्यायालय ने 27.9.1986 के फैसले के माध्यम से मुकदमे को खारिज कर दिया। निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को 27.1.2000 के फैसले और आदेश के माध्यम से बरकरार रखा गया था। उत्तरदाताओं द्वारा दायर दूसरी अपील में, नीचे दी अवर न्यायालयों के फैसलों को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2013 के फैसले के माध्यम से उलट दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया:

₹

बी.

सी.

डी.

“(i) क्या अवर न्यायालयों ने वादी के मुकदमे को गलत दृष्टिकोण पर खारिज करने और किसी ऐसे मुद्दे पर विचार करने में त्रुटि की है जो मुकदमे के निर्णय के उद्देश्य के लिए सामग्री नहीं था?

ई.

((ख) क्या अवर न्यायालयों ने विवादित विलेख के संबंध में चरित्र और निर्माण के संबंध में मुकदमे में शामिल मुख्य मुद्दों पर विचार नहीं करने में त्रुटि की है?

((ग) क्या अवर न्यायालयों ने स्वामित्व के साथ किरायेदारी के विलय के मुद्दे पर विचार नहीं करने में त्रुटि की है जैसा कि बिक्री विलेख में प्रासंगिक है?"

एफ.

अपीलार्थियों की दलीलें

5.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि स्वर्गीय किशोरी लाल साहू ने अपने बेटे के साथ इंदिरा देवी के पक्ष में 5.8.1977 पर सशर्त बिक्री विलेख को निष्पादित किया।उसे संपत्ति को फिर से खरीदने का अपना अधिकार किसी तीसरे पक्ष को सौंपने का कोई अधिकार नहीं था, यह अधिकार उसका व्यक्तिगत था।अन्यथा भी विक्रय विलेख में ऐसा कोई खंड नहीं था जिसके अनुसार ऐसा अधिकार किसी और को सौंपा जा सके।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपहार विलेख जिसके द्वारा संपत्ति दी गई थी

जी.

एच.

376

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

वीणा गुप्ता को उपहार विलेख नहीं कहा जा सकता क्योंकि विचाराधीन संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार किया गया था क्योंकि वह बिक्री विलेख में उल्लिखित प्रतिफल राशि के भुगतान पर ही विचाराधीन संपत्ति प्राप्त कर सकती थी।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि शिकायत के अवलोकन से, यह स्पष्ट नहीं है कि वादी हमेशा सशर्त बिक्री विलेख में उल्लिखित शर्त को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक थे क्योंकि उनके पास कोई पैसा उपलब्ध नहीं था।इसके अलावा, लिखित बयान में अपीलार्थी द्वारा लिया गया रुख यह था कि स्वर्गीय किशोरी लाल साहू का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वीणा गुप्ता के पक्ष में निष्पादित उपहार विलेख एक वैध दस्तावेज नहीं था।

बी.

6.इस दलील के समर्थन में कि बिक्री विलेख में प्रदत्त अधिकार व्यक्तिगत होने के कारण सौंपा नहीं जा सकता है, इस पर निर्भरता रखी गई थी

सी.

भोजू मंडल और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय।देबनाथ भगत और ओआरएस। **1** और कपिलाबेन और ओआरएस बनाम अशोक कुमार जयंतीलाल सेठ, पी. ओ. ए. गोपाल भाई मधुसूदन पटेल और अन्य **2** के माध्यम से। यह आगे था

तर्क दिया कि मुकदमे में कई राहतों का दावा किया गया था, जो एक ओर बनाए रखने योग्य नहीं था, दावा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए था जबकि दूसरी ओर, किरायेदारी की याचिका भी उठाई गई थी।

डी.

जवाबदेहों की दलीलें

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा दबाव डाला गया एकमात्र राहत क्रम संख्या में है। **1** सूट में अर्थात् कब्जे के साथ विशिष्ट प्रदर्शन के संदर्भ में। यह एक ऐसा मामला है जिसमें वीणा गुप्ता के ससुर स्वर्गीय किशोरी लाल साहू ने संपत्ति सहित उनकी संपत्तियों से संबंधित उपहार विलेख को उनके पक्ष में निष्पादित किया था। उपहार विलेख में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि वीणा गुप्ता इंदिरा देवी को बेची गई संपत्ति को उनसे खरीदकर उस पर कब्जा कर सकती हैं। उनके पास वे सभी अधिकार उपलब्ध होंगे जो स्वर्गीय किशोरी लाल साहू के पास थे। बिक्री विलेख की शर्त के अनुसार, जुलाई, **1984** तक इंदिरा देवी को **5000/-** रुपये का भुगतान किए जाने की स्थिति में संपत्ति को फिर से खरीदा जा सकता है। यह राशि इंदिरा देवी को दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो दीवानी मुकदमा दायर किया गया। चूंकि अपीलार्थियों विचार स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसलिए दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मार्च, **1984** में एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें न्यायालय में **5000/-** रुपये जमा करने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने पर, राशि **29** अप्रैल, **1984** को न्यायालय में जमा की गई थी। इसलिए, वहाँ था

ई.

एफ.

₹

जी.

1 1963 पूरक (2) एससीआर 82 2 (2020) 20 एससीसी 648 ए

एच.

377

इंदिरा देवी बनाम वीणा गुप्ता और ओआरएस। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

संपत्ति वापस पाने के लिए बिक्री विलेख में निर्धारित शर्त का अनुपालन।उपरोक्त संपत्ति को वापस पाने का अधिकार स्वर्गीय किशोरी लाल साहू द्वारा प्रत्यर्थी नं.1 पंजीकृत उपहार विलेख देखें।मुकदमे को खारिज करने में नीचे की दोनों अवर न्यायालयों द्वारा की गई त्रुटि को उच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया गया था।

8.अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क का विरोध करने के लिए कि मृतक स्वर्गीय किशोरी लाल साहू को व्यक्तिगत अधिकार नहीं दिया जा सकता था, इस निर्णय पर भरोसा किया गया था

बी.

टी. एम. में न्यायालय बालकृष्ण मुदलियार बनाम एम. सत्यनारायण राव और अन्य। 3 और श्याम सिंह बनाम दरियाव सिंह (मृत) एल. आर. और अन्य 4 द्वारा।यह.

प्रस्तुत किया गया था कि ऐसा अधिकार व्यक्तिगत नहीं है और इसे हमेशा सौंपा जा सकता है। किसी भी मामले में, इसे किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में नहीं सौंपा गया था, बल्कि यह वीणा गुप्ता के ससुर द्वारा उनके पक्ष में था, क्योंकि वे बूढ़े हो रहे थे।यह केवल परिवार में था।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राजमणि देवी और अन्य द्वारा वीणा गुप्ता के खिलाफ दायर 2014 की एसएलपी (सी) संख्या 5910 वाली विशेष अनुमति याचिका, प्रत्यर्थी संख्या।1 मूल प्रतिवादियों की ओर से किराए के भुगतान में चूक के मुद्दे पर इसी फैसले को चुनौती देते हुए इस न्यायालय द्वारा 21.02.2014 पर खारिज कर दिया गया था।9.पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।

सी.

डी.

चर्चा

10.वर्तमान अपील में जिस प्राथमिक मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या विक्रेता संपत्ति को वापस पंजीकृत कराने के लिए बिक्री विलेख में निहित अधिकार सौंप सकता है या अधिकार व्यक्तिगत होने के कारण नहीं सौंपा जा सकता है।

ई.

11.अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों की सामग्री इस मुद्दे को समझने के लिए प्रासंगिक होगी। सशर्त बिक्री विलेख में प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैं:-

एफ.

“कि विक्रेताओं ने विक्रेताओं के सही स्वामित्व और कब्जे के बारे में विक्रेता को विश्वास दिलाने के बाद केवल 5,000/(पांच हजार रुपये) के वैध विचार पर सशर्त बिक्री विलेख को निष्पादित

किया और संपत्ति से कोई संबंध नहीं छोड़ते हुए विक्रेता सेंट इंदिरा देवी को पूरा अधिकार स्वामित्व और कब्जा सौंप दिया। विक्रेता लैंड कॉलिंग एक्ट के दायरे से बाहर थे।

जी.

3 (1993) 2 एससीसी 740 4 (2003) 12 एससीसी 160

एच.

378

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

सशर्त बिक्री विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जा रहा है कि यदि विक्रेता जुलाई 1984 तक विक्रेता को पूर्ण प्रतिफल राशि वापस कर देंगे तो विक्रेता विक्रेताओं की कीमत पर पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से उसे वापस कर देगा और विक्रेता निर्धारित समय के भीतर प्रतिफल राशि वापस करने में विफल रहते हैं, तब तक विक्रेता संपत्ति का पूर्ण मालिक होगा, तब तक विक्रेता न तो भूमि के संबंध में दूसरों को किसी भी हस्तांतरण विलेख को निष्पादित करेगा और न ही भूमि पर गारंटर बन जाएगा और न ही भूमि पर ऋण लेगा, यदि ऐसा किया जाता तो यह अवैध होगा। विक्रेता न तो घर की भौतिक विशेषता को बदलेगा और न ही विक्रेता बिहार राज्य को किराया देने का हकदार होगा।

बी.

सी.

यदि विक्रेता निर्धारित अवधि के भीतर विक्रेता को प्रतिफल राशि वापस करने का इरादा रखते हैं तो विक्रेता विक्रेताओं के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित करेगा (ऐसा न करने पर विक्रेता न्यायालय में पूर्ण प्रतिफल राशि जमा करेंगे और विक्रेता का सही अधिकार जब्त कर लिया जाएगा और उस स्थिति में विक्रेता नुकसान की लागत वहन करेगा। यदि विक्रेता को किसी कानूनी जटिलता के कारण उपरोक्त भूमि या उसके हिस्से से बेदखल कर दिया जाता है, तो विक्रेता और उनके कानूनी उत्तराधिकारी विक्रेता को हर्जाने के साथ पूर्ण प्रतिफल राशि-ए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। विक्रेता निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उपरोक्त भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेगा और विक्रेताओं के पास विक्रेता के सही स्वामित्व और कब्जे के संबंध में हस्तक्षेप करने का कोई विकल्प नहीं होगा और विक्रेता को विक्रेताओं के स्थान पर अपना नाम बदलने और अपनी पसंद के अनुसार भूमि का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी यदि विक्रेताओं या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो न्यायालय द्वारा अवैध होगा और विक्रेता लागत और हर्जाने को वहन करने के लिए हकदार होंगे।

डी.

ई.

एफ.

(जोर दिया गया) 12.उपहार विलेख में प्रासंगिक खंड नीचे दिए गए हैं:-

जी.

“मैं, निष्पादक, उपर्युक्त संपत्ति के कब्जे में हूँ। मैं अब बुढ़ापे में हूँ और भगवान को पता है कि यह जीवन कब समाप्त होगा। इस दस्तावेज़ का वह लाभार्थी निष्पादक की पोटेहू (बहू) है। वह मेरी देखभाल करती है, निष्पादक और मैं उसकी देखभाल से खुश हूँ। इसलिए, मैंने तय किया है कि ए

एच.

379

इंदिरा देवी बनाम वीणा गुप्ता और ओआरएस। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

अपनी पूरी संपत्ति उसे उपहार में देने के लिए और उसे मेरे जैसी सभी संपत्तियों का मालिक बनाने के लिए।

.....

केवल कुछ संपत्ति, जैसा कि कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित है, श्रीमती को दी गई है। इंदिरा देवी बिक्री विलेख दिनांक 5.8.1977 के माध्यम से। इन संपत्तियों के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज़ निष्पादित नहीं किया गया है।.....

बी.

वह इंद्र देवी और मालती देवी को बेची गई संपत्ति को उनसे खरीदकर भी अपने कब्जे में ले सकती है। अब उन्हें वे सभी अधिकार मिलेंगे जो मैं आज तक उपर्युक्त संपत्ति के संबंध में प्राप्त कर रहा था।”

सी.

13.स्वर्गीय किशोरी लाल साहू और वीणा गुप्ता ने कालेश्वर प्रसाद और इंदिरा देवी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था। वादी द्वारा जो प्राथमिक राहत मांगी गई है, वह नीचे दी गई है:-

डी.

“(क) अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक डिक्री वादी प्रथम पक्ष के पक्ष में पारित की जाए और प्रतिवादी को पहले वादी प्रथम पक्ष से 5000/- लेने का निर्देश दिया जाए और प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को वादी प्रथम पक्ष के पक्ष में नीचे अनुसूची-1 में विस्तृत वाद गृह के संबंध में एक

बिक्री विलेख निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश दिया जाए और वादी प्रथम पक्ष को कब्जे में रखा जाए और प्रतिवादी ऐसा करने में विफल रहने पर, न्यायालय प्रतिवादी द्वितीय पक्ष की ओर से वादी प्रथम पक्ष के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित करने और पंजीकृत करने के लिए प्रसन्न हो सकती है और कब्जे की वसूली के लिए एक डिक्री पारित की जाए और वादी प्रथम पक्ष को न्यायालय के माध्यम से कब्जे के वितरण द्वारा कब्जे में रखा जाए।”

र

ई.

एफ.

14. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, विचारण न्यायालय के साथ-साथ पहली अपीलिय अदालत ने मुकदमे को खारिज कर दिया था, जबकि उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों को उलट दिया था और उसी का फैसला सुनाया था।

जी.

कानूनी स्थिति

15. इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा टी. एम. बालकृष्ण मुदलियार (उपरोक्त) मामले में विचार किया गया था, जिसमें पूर्व निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

सकलागुना नायडू बनाम चिन्ना मुनुसामी में प्रिवी काउंसिल

एच.

380

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

नायक 5. इस न्यायालय ने राय दी कि पुनर्खरीद के अनुबंध का लाभ जो यह नहीं दर्शाता है कि यह केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के लाभ के लिए था, सौंपा जा सकता है। बेची गई संपत्ति को फिर से खरीदने के लिए दिया गया विकल्प प्रथम दृष्टया निर्दिष्ट होगा। निर्णय का पैरा 9 नीचे दिया गया है:-

“9. सकलगुण नायडू बनाम चिन्ना में प्रिवी काउंसिल

बी.

मुनुसामी नायकर ने माना है कि पुनर्खरीद अनुबंध का लाभ जो यह नहीं दर्शाता है कि यह केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के लाभ के लिए था, सौंपा जा सकता है और ऐसा अनुबंध लागू करने योग्य है। ब्यूमोंट, सी. जे. इन

विश्वेश्वरा नरसभट्ट गद्दादा बनाम दुर्गप्पा इरप्पा

सी.

भटकर 6 ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य कानून के साथ-साथ विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 23 (बी) के तहत, बेची गई संपत्ति को फिर से खरीदने का विकल्प प्रथम दृष्टया निर्दिष्ट किया जाएगा, हालांकि यह इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यह दर्शाता है कि यह अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत था और निर्दिष्ट करने योग्य नहीं था। उस मामले के विशेष तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुबंध

डी.

नियुक्त करने योग्य था। सिन्नाकरुप्पा गौंडर बनाम करुप्पुस्वामी में

गौंडर 7, यह आयोजित किया गया था:

“ हमारे विचार में, आम तौर पर, पुनर्खरीद के अनुबंध के लाभ असाइन करने योग्य होने चाहिए, जब तक कि अनुबंध की शर्तें ऐसी न हों जो यह दर्शाती हों कि पुनर्खरीद का अधिकार विक्रेता के लिए व्यक्तिगत है। बाद के मामले में यह उस व्यक्ति के लिए होगा जो यह दलील देता है कि अनुबंध लागू करने योग्य नहीं है, यह दिखाने के लिए कि इसमें पक्षों का इरादा यह था कि इसे केवल उसमें नामित व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाना था, न कि समनुदेशिनी द्वारा।”

ई.

एफ.

16. पुनः, यह मुद्दा श्याम सिंह मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया, जिसमें प्रिवी काउंसिल के निर्णय

टी. एम. बालकृष्ण मुदलियार में सकलगुण नायडू और यह न्यायालय

(ऊपर) को संदर्भित किया गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें पुनर्खरीद के अधिकार के साथ एक सशर्त बिक्री विलेख दर्ज किया गया था। उपरोक्त मामले में बिक्री विलेख में उल्लिखित शर्तें, जो हाथ में मामले के समान थीं, नीचे दी गई हैं:-

जी.

5 एयर 1928 पी. सी. 174

6 एयर 1940 बम 339:42 बीएलआर 653:आईएलआर 1940 बम 674 7 एयर 1965 मैड 506:आई. एल. आर. (1965) 2 मैड 20 ए

एच.

381

इंदिरा देवी बनाम वीना गुप्ता और ओआरएस। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

“जबकि हम, हरदेव के बेटे दरियाव सिंह, प्रथम पक्ष और सूरजमल, पीतम और बाबू, रति राम के बेटे, द्वितीय पक्ष, जाट, गाँव नाला, परगना कंधला, तहसील बुधाना, जिला मुजफ्फरनगर के निवासी। पार्टी 2 ने आज मुजफ्फरनगर जिले की तहसील बुधाना के ग्राम नाला, परगना कंधला के खाता संख्या 331 में स्थित खसरा संख्या 95 की भूमि के 2 बीघा 7 बिसवों के संबंध में पार्टी 1 के पक्ष में 4900 रुपये की राशि के लिए एक बिक्री विलेख निष्पादित किया है, जिसके बारे में पक्षों के बीच सहमति हुई थी कि यदि दूसरा पक्ष पहले वाले को 4900 रुपये के बिक्री विलेख का पूरा भुगतान करता है।

बी.

आज से दस साल के भीतर प्रथम पक्ष या प्रथम पक्ष के उत्तराधिकारियों को उस स्थिति में प्रथम पक्ष उपरोक्त का पुनर्मूल्यांकन करेगा।

सी.

बिना किसी अन्य पक्ष के पक्ष में बिक्री विलेख द्वारा भूमि

आपत्ति की। यदि किसी भी कारण से पहला पक्ष दूसरे पक्ष के पक्ष में बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं करता है, तो पांच साल के बाद, लेकिन बिक्री विलेख की तारीख से दस साल के भीतर, दूसरे पक्ष को 4900 रुपये का पूरा प्रतिफल दीवानी न्यायालय में जमा करने और न्यायालय द्वारा बिक्री विलेख को निष्पादित करने का अधिकार होगा, तो पहले पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। वर्तमान समझौता पक्षकारों और पक्षकारों के उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी होगा। इसलिए, इन कुछ

डी.

दस साल के भीतर बिक्री के पुनः हस्तांतरण के समझौते के माध्यम से टिप्पणियां लिखी जा रही हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इस दस्तावेज का उपयोग किया जा सके। दस साल की सीमा के बाद दूसरे पक्ष को पार्टी 1 से उपरोक्त को रिहा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।”

ई.

(जोर दिया गया) 17. श्याम सिंह के मामले (ऊपर) में भूमि को फिर से खरीदने का अधिकार रखने वाले पक्ष ने एक पंजीकृत दस्तावेज के माध्यम से 19,000/- के विचार के लिए तीसरे पक्ष को अधिकार बेच दिए। 4900/- के भुगतान पर उन्हें पुनर्खरीद का अधिकार उपलब्ध था। नीचे दिए गए सभी अवर न्यायालयों ों ने राय दी थी कि यदि बिक्री विलेख में पुनर्खरीद के

अधिकार को सौंपने की अनुमति देने वाला कोई खंड नहीं है, तो उसे स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तो विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या समनुदेशन या स्थानान्तरण के खिलाफ इस तरह के निषेध को निहितार्थ द्वारा दस्तावेज़ में पढ़ा जा सकता है। व्यक्त की गई राय यह थी कि पुनः परिवहन प्राप्त करने के लिए दस साल की लंबी अवधि निर्धारित की गई थी, दस्तावेज़ में स्थानान्तरण या असाइनमेंट के किसी भी निहित निषेध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

एफ.

₹

जी.

एच.

382

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 15 (बी) के प्रावधानों को देखें। निर्णय के प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:-

“13. हमारी सुविचारित राय में, दस्तावेजों में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति के अभाव में जो असाइनमेंट या पुनर्खरीद के अधिकार के हस्तांतरण पर निषेध का संकेत देते हैं और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 15 (बी) के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, एक निहित निषेध को दस्तावेजों की शर्तों में नहीं पढ़ा जा सकता है। केवल इसलिए कि दस्तावेजों में अनुबंध करने वाले पक्षों के "उत्तराधिकारियों" का उल्लेख है, लेकिन उनके "समनुदेशकों" या "हस्तांतरणकर्ताओं" का नहीं, अधिनियम की धारा 15 (बी) के तहत मूल अनुबंध करने वाले पक्ष के लाभ के लिए उपलब्ध समनुदेशन के कानूनी अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

14. हम अपने विचार में इस न्यायालय के दो प्रत्यक्ष निर्णयों द्वारा कुछ हद तक समान परिस्थितियों में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ समकालीन रूप से तुलनीय शर्तों के साथ बिक्री और पुनर्खरीद के लिए निष्पादित किए गए हैं। टी. एम. देखें।

डी.

बालकृष्ण मुदलियार बनाम एम. सत्यनारायण राव (ऊपर) और हबीबा खातून बनाम उबैदुल हक 8 "।

15. हबीबा खातून [(1997) 7 एस. सी. सी. 452] के मामले में इस न्यायालय, प्रिवी काउंसिल और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का जायजा लेते हुए, वर्तमान-विवादित मुद्दे पर कानून को मूल अनुबंध पक्ष के पुनर्खरीद के अधिकार को बनाए रखने के लिए इस प्रकार समझाया गया था:

ई.

“हम इस संबंध में उपयोगी निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं -

टी. एम. बालकृष्ण मुदलियार बनाम एम. के मामले में यह न्यायालय

सत्यनारायण राव [(1993) 2 एस. सी. सी. 740] विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 15 (बी) के प्रावधानों पर विचार करते हुए इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने कासलीवाल, जे. के माध्यम से बोलते हुए (एस. सी. सी. के पैरा 10 में) सकलगुना के निर्णय से निकलने वाले कानून के बयान का समर्थन विद्वान ।

एफ.

नायडू [सकलगुना नायडू बनाम चिन्ना मुनुसामी

नायक, ए. आई. आर. 1928 पी. सी. 174:55 आई ए 243:32 सी. डब्ल्यू. एन. 850] के साथ-साथ विश्वेश्वर नरसभट्ट के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की ओर से बोलते हुए ब्यूमोंट, सी. जे. का निर्णय

जी.

गद्दादा बनाम दुर्गप्पा इरप्पा भटकर [ए. आई. आर. 1940 बम 339

:42 बम एलआर 653:आईएलआर 1940 बम 674]।कानून का बयान

8 (1997) 7 एससीसी 452 ए

एच.

383

इंदिरा देवी बनाम वीना गुप्ता और ओआरएस। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

जिसे रिपोर्ट के पैरा 9 में इस न्यायालय की प्रमुखता मिली है, वह इस प्रकार है:

‘सकलगुण नायडू बनाम चिन्ना में प्रिवी काउंसिल

मुनुसामी नायक [सकलगुण नायुडू बनाम चिन्ना

मुनुसामी नायक, आकाशवाणी 1928 पी. सी. 174:55 आई ए 243:32 सी. डब्ल्यू. एन. 850] ने अभिनिर्धारित किया है कि पुनर्खरीद अनुबंध का लाभ जो यह नहीं दर्शाता है कि यह केवल अनुबंध करने वाले पक्षों के लाभ के लिए था, सौंपा जा सकता है और ऐसा अनुबंध लागू करने योग्य है। ब्यूमोंट, सी. जे.

बी.

विश्वेश्वरा नरसभट्ट गद्दादा बनाम दुर्गप्पा

इरप्पा भटकर [ए. आई. आर. 1940 बम 339:42 बम एलआर 653:आई. एल. आर. 1940 बॉम 674] ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य कानून के साथ-साथ विशिष्ट राहत अधिनियम, 1877 की धारा 23 (बी) के तहत, बेची गई संपत्ति को फिर से खरीदने के लिए दिया गया एक विकल्प प्रथम दृष्टया निर्दिष्ट किया जाएगा, हालांकि यह इस तरह से भी कहा जा सकता है कि यह अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत होना था और निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता था। उस मामले के विशेष तथ्यों पर, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुबंध निर्दिष्ट करने योग्य था। सिन्नाकरुप्पा में

सी.

डी.

गौंडर बनाम एम. करुप्पुस्वामी गौंडर [ए. आई. आर. 1965 मैड

506 :आई. एल. आर. (1965) 2 मैड 20:हमारे विचार में, आम तौर पर, पुनर्खरीद के अनुबंध के लाभ असाइन करने योग्य होने चाहिए, जब तक कि अनुबंध की शर्तें ऐसी न हों जो यह दर्शाती हों कि पुनर्खरीद का अधिकार विक्रेता के लिए व्यक्तिगत है। बाद के मामले में यह उस व्यक्ति के लिए होगा जो यह दलील देता है कि अनुबंध लागू करने योग्य नहीं है, यह दिखाने के लिए कि इसमें पक्षों का इरादा यह था कि इसे केवल उसमें नामित व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाना था, न कि समनुदेशिनी द्वारा।

ई.

एफ.

16. हबीबा खातून [(1997) 7 एस. सी. सी. 452] और टी. एम. बालकृष्ण मुदलियार [(1993) 2 एस. सी. सी. 740] में दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित और अनुसरण किए गए कानून के बयान से, जब तक कि प्रश्नगत दस्तावेज की सामग्री और उसके संबंध में साक्ष्य असाइनमेंट या हस्तांतरण के खिलाफ निषेध का अनुमान लगाने के लिए इतने स्पष्ट नहीं हैं, तो पुनर्खरीद के अधिकार को असाइन करने योग्य या हस्तांतरणीय माना जाना चाहिए और इसे अनुबंध करने वाले पक्षों के लिए व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता है।

जी.

17. एक बहुत ही निराधार आधार पर कि विचाराधीन दस्तावेज़ में केवल "पक्षों" और उनके "उत्तराधिकारियों" का उल्लेख है और नहीं

एच.

384

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

“समनुदेशनकर्ता या हस्तांतरणकर्ता, यह नहीं माना जा सकता है कि पुनर्खरीद का अधिकार समनुदेशन योग्य नहीं था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, नीचे दी अवर न्यायालयों ने विचाराधीन दस्तावेज़ का इस तरह से अर्थ लगाने में गलती की कि असाइनमेंट और स्थानांतरण के खिलाफ एक निहित निषेध का अनुमान लगाया जा सके।”

(जोर दिया गया)

बी.

18. यह ध्यान दिया जा सकता है कि टी. एम. बालकृष्ण (ऊपर) और हबीबा खातून (ऊपर) में इस न्यायालय के पहले के दो फैसलों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। पुनर्खरीद के अधिकार को निर्दिष्ट या हस्तांतरणीय माना गया था और इसे अनुबंध करने वाले पक्षों के लिए व्यक्तिगत नहीं माना जा सकता है। 19. अपीलार्थी के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों का उल्लेख करते हैं, जो उसके मामले का समर्थन नहीं करते हैं। भोजू मंडल और ओआरएस के मामले (उपरोक्त) में, विचाराधीन मुद्दा यह था कि क्या विचाराधीन दस्तावेज़ में पुनर्खरीद की शर्त के साथ बंधक या बिक्री थी। दस्तावेज़ में खंडों के निर्माण पर भी यही निर्णय लिया गया था। यह उस संदर्भ में था जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि उक्त दो अवधारणाओं के बीच अंतर है। दस्तावेजों की सामग्री पर विचार करने पर पक्षों के इरादे का पता लगाने से ही इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है। उसमें विचाराधीन विशिष्ट मुद्दा यह नहीं था कि क्या पुनर्खरीद का अधिकार विक्रेता को व्यक्तिगत था या उसे सौंपा जा सकता है या नहीं। उच्च न्यायालय के फैसले में यह राय दी गई कि उसमें दस्तावेज बंधक नहीं था, बल्कि पुनर्खरीद की शर्त के साथ बिक्री को बरकरार रखा गया था।

सी.

डी.

ई.

20. कपिलाबेन और अन्य के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने विचार किया था कि किसी अनुबंध के समनुदेशन के परिणामस्वरूप उसके तहत अधिकारों या दायित्वों में से किसी एक का हस्तांतरण हो सकता है। दायित्वों का हस्तांतरण दूसरे पक्ष की सहमति के बिना संभव नहीं है। उन मामलों को छोड़कर जहां अनुबंध व्यक्तिगत प्रकृति का है, अधिकार के हस्तांतरण की अनुमति है। इसके प्रासंगिक पैरास नीचे निकाले गए हैं:-

एफ.

“24. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि “प्रतिनिधि-हित” शब्द में संविदात्मक हित का समनुदेशक शामिल है। यद्यपि अनुबंध अधिनियम के प्रावधान विशेष रूप से अनुबंधों की समनुदेशन क्षमता से संबंधित नहीं हैं, इस न्यायालय ने बार-बार यह राय दी है कि अनुबंध का एक पक्ष दूसरे पक्ष की सहमति के बिना अपने दायित्वों/देनदारियों को निर्दिष्ट नहीं कर सकता है। की एक संविधान पीठ

जी.

9 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1810 ए

एच.

385

इंदिरा देवी बनाम वीना गुप्ता और ओआरएस। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

इस न्यायालय ने खारदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (भारत) (पी)

लिमिटेड 9 ने इस सिद्धांत को निम्नानुसार निर्धारित किया है: “19. ... किसी अनुबंध के असाइनमेंट के परिणामस्वरूप अधिकारों या उसके तहत दायित्वों में से किसी एक का हस्तांतरण हो सकता है। लेकिन इन दो वर्गों के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अंतर है

नियुक्तियाँ। एक नियम के रूप में एक अनुबंध के तहत दायित्वों को वादा करने वाले की सहमति के अलावा सौंपा नहीं जा सकता है, और जब ऐसी सहमति दी जाती है, तो यह वास्तव में एक नया परिणाम है।

बी.

देनदारियों के प्रतिस्थापन में। दूसरी ओर, के तहत अधिकार

एक अनुबंध असाइन करने योग्य है जब तक कि अनुबंध अपनी प्रकृति में व्यक्तिगत न हो या अधिकार कानून के तहत या पार्टियों के बीच एक समझौते के तहत असाइन करने में असमर्थ न हों।”

सी.

27. अधिकार सरलीकरण के असाइनमेंट के मामले में भी, इस तरह के असाइनमेंट के लिए अनुबंध के लिए दूसरे पक्ष की सहमति की आवश्यकता होगी यदि यह "व्यक्तिगत प्रकृति" का है। विद्वान लेखक पोलक और मुल्ला ने अपनी टिप्पणी में यह स्पष्ट विद्वान है।

डी.

भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम (आर. यशोद)

वर्धन, और चित्रा नारायण, संस्करण, 15 वां संस्करण, खंड। I) पी पर। 730: "एक अनुबंध जो ऐसा है कि वचनदाता को व्यक्तिगत रूप से इसे पूरा करना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत विचार या व्यक्तिगत कौशल या योग्यताएं (जैसे कि उसका श्रेय) शामिल हैं, वे स्वभाव से निर्धारित नहीं हैं। अनुबंध का लाभ उन मामलों में सौंपा जा सकता है जहां

ई.

इससे उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता जिस पर दो व्यक्तियों में से किसका निर्वहन करना उसका दायित्व है।

यह '। उदाहरण के लिए, धन के भुगतान या निर्माण कार्य के लिए संविदात्मक अधिकारों में व्यक्तिगत विचार शामिल नहीं हैं।"

एफ.

(बल दिया गया)

21. उपरोक्त निर्णयों से यह संक्षेप में कहा जा सकता है कि बिक्री विलेख में पुनर्खरीद के अधिकार की शर्त विक्रेता के लिए व्यक्तिगत नहीं होगी जब तक कि दस्तावेजों में शर्तें विशेष रूप से ऐसा न कहें। ऐसा अधिकार हमेशा सौंपा जा सकता है और ऐसी शर्त वाला अनुबंध लागू करने योग्य होगा। एकमात्र अपवाद यह है कि ऐसा अधिकार व्यक्तिगत प्रकृति का नहीं होना चाहिए। किसी दस्तावेज में दायित्वों का समनुदेशन दूसरे पक्ष की सहमति के बिना संभव नहीं है। किसी दस्तावेज में स्थानांतरण या कार्य के किसी भी निहित निषेध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका लाभ

जी.

एच.

अनुबंध उन मामलों में सौंपा जा सकता है जहां इससे उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस पर दायित्व निहित है, वह दो व्यक्तियों में से किसके लिए निर्वहन करता है।

22. यदि हाथ में मामले के तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो हम यह नहीं पाते हैं कि सशर्त बिक्री विलेख में ऐसा कोई शब्द है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसके कार्य को सौंपने से रोकता है। खंड में केवल पुनर्खरीद के अधिकार का उल्लेख है। यह विकल्प विक्रेताओं को विक्रेता के दायित्वों के साथ दिया जाता है। वर्तमान मामले में पुनर्खरीद का अधिकार किशोरी लाल साहू (अब मृत) द्वारा प्रत्यर्थी नं. 1 जो और कोई नहीं बल्कि उसकी बहू है जिसे अन्य संपत्तियाँ भी उपहार में दी गई हैं।

बी.

सी.

23. यहां तक कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि किसी अधिकार के इस तरह के समनुदेशन को उपहार के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें प्रतिफल राशि शामिल है, इस कारण से भी ध्यान दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है कि उपहार विलेख के निष्पादक अर्थात् किशोरी लाल साहू (अब मृत) ने प्रत्यर्थी सं. 1. वह अधिकार हमेशा उसके द्वारा किसी भी शर्त के साथ सौंपा जा सकता था। दायर मुकदमे में आगे, वह एक वादी भी था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई।

डी.

24. ऊपर वर्णित कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। वर्तमान अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

ई.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.